89

III/ निग०/रीवा/भू-रा०/2017/3134

श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित 30/-

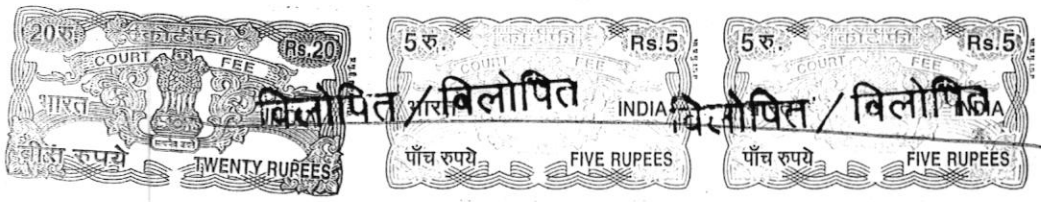

रामपती पटेल पिता स्व० तुलसी पटेल उम्र 56 वर्ष पेशा खेती,

निवासीग्राम रीठी तहसील गुढ,जिला रीवा म०प्र ०---- निगरानीकर्ता

आवेदक रामपती पटेल
द्वारा स्वयं/ 18-9-17

विरुद्ध

1- मानवती पति स्व० दयानंद निवासी ग्राम उमरी, तहसीलगुढ,

जिलारीवाम०प्र०

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

2- शासन म०प्र० ----- ------ गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त गुढ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 55अ-12/16-17मे पुष्टि आदेश दिनांक 28-6-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन 1959ई०

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अनावेदिका/ गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अपने स्वत्व व आधिपत्य की आराजी खसरानं० 229, 232/1/क एवम 233 कुलकिता 3 कु स्थित ग्राम उमरी, तहसीलगुढ,जिला रीवा का सीमांकन कराने हेतु आवेदनपत्र राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त गुढ के न्यायालये प्रस्तुत किया, जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 55अ-12/ 16-17के रुपमे कायम किया गया तथा दिनांक

रामपती

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–तीन/निग./17/3134 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक श्री रामपती पटेल उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 55/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 28.6.17 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया कि आराजी क्र0 232/1क, 233, 224, किता 3 रकबा 0.467, 0.006, 0.081 का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से पटवारी द्वारा सूचनापत्र दिनांक 08.06.17 को जारी कर दिनांक 10.06.17 को सीमांकन करने हेतु सरहद्दी कास्तकारों को सूचना दी, जिसमें आवेदक का नाम अंकित है तथा उनके हस्ताक्षर भी अंकित हैं। इसी प्रकार स्थल पंचनामा पर पटवारी द्वारा पंचनामा पर लेख किया है कि आवेदक रामपती पटेल उपस्थित रहे लेकिन पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उनके द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की। आपत्ति में उनके द्वारा भूमि सर्वे क्र0 228, 235, 240 तथा आपत्तिकर्ता द्वारा	

अपने आपत्ति के कॉलम न0 2 में 229, 232, 233 के भूमि स्वामी को अनावेदक क्र0 1 बताया गया है जबकि अनावेदक क्र0 1 ने आराजी क्र0 232/1क, 233, 224, किता 3 रकबा 0.467, 0.006, 0.081 का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उनकी आपत्ति निरस्त करने में राजस्व निरीक्षक द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। आवेदक चाहे तो वह अपना सीमांकन आवेदन प्रस्तुत करने पर सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 55/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 28.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य